



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08032024-252744  
CG-DL-E-08032024-252744

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1100]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 7, 2024/फाल्गुन 17, 1945

No. 1100]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 7, 2024/PHALGUNA 17, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2024

सं. 69/2023

विषय: अग्रिम प्राधिकार-पत्र धारकों और ईओयू इकाइयों द्वारा ऐसे निविष्टि के आयात के लिए प्रावधानों को समर्थ बनाना जो अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) के तहत है।

का.आ. 1162(अ).—विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैरा 1.02, 2.01 और 2.03 के साथ पठित, यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा एफटीपी, 2023 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. एफटीपी 2023 के पैरा 4.18 के नीचे एक नया पैरा 4.18 (क) निम्नानुसार शामिल किया जाता है:

“4.18 क अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) के बिना अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत मर्दों का आयात करने की योग्यता”

अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) के अनुपालन के बिना अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत निविष्टियों का आयात निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

(i) अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) के अनुपालन के बिना अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत निविष्टियों का आयात, पूर्व-आयात शर्त के साथ होगा। ऐसी निविष्टियों का उपयोग निर्यात उत्पाद के विनिर्माण में किया जाएगा (अपव्यय के लिए सामान्य छूट देते हुए) और समान प्राधिकार पत्र के तहत निर्यात किया जाएगा।

(ii) प्राधिकार पत्र धारक के अनुरोध पर अग्रिम प्राधिकार पत्र में अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों से छूट को विशेष रूप से पृष्ठांकित किया जाएगा। छूट के विशिष्ट पृष्ठांकन के बिना प्राधिकार पत्र के तहत आयात अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

(iii) अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के अनुपालन के बिना ऐसे किसी भी अप्रयुक्त आयातों या आयातित निविष्टियों के साथ निर्मित उत्पादों को निर्यात दायित्व की पूर्ति में चूक के नियमित होने के बाद भी डीटीए में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। इस पैरा के प्रयोजन के लिए अप्रयुक्त आयात का अर्थ आयातित निविष्टि है (अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के अनुपालन के बिना) जिसे समान प्राधिकार पत्र के तहत निर्यात किए गए उत्पाद में सिओन/तदर्थ मानदंडों के अनुसार शामिल नहीं किया गया है।

(iv) अप्रयुक्त आयात को निम्नानुसार विनियमित किया जाएगा।

(क) अप्रयुक्त सामग्री को क्षेत्राधिकार प्राप्त जीएसटी/सीमा शुल्क प्राधिकारियों की उपस्थिति में नष्ट कर दिया जाएगा जो माल को नष्ट किए जाने को प्रमाणित करेंगे या इसका पुनः निर्यात किया जा सकता है; और इसके अलावा

(ख) अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक सीमा शुल्क प्राधिकारियों को अप्रयुक्त छूट प्राप्त सामग्री पर ब्याज के साथ छूट प्राप्त शुल्क/कर/उपकर का भुगतान करेगा और डीजीएफटी को अप्रयुक्त आयातित निविष्टि के सीआईएफ मूल्य के 10 प्रतिशत समतुल्य राशि का संयोजन शुल्क भी देगा। ईओडीसी प्रदान करने से पहले इसका प्रमाण संबंधित आरए को प्रस्तुत किया जाएगा।

(v) गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों से छूट केवल वास्तविक निर्यातों के लिए उपलब्ध है और ऐसी छूट अग्रिम प्राधिकार पत्र धारकों के लिए मान्य निर्यातों हेतु अनुमत नहीं होगी।

(vi) प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी), 2023 के पैरा 4.36 के तहत क्लबिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

(vii) “ऐसे प्राधिकार पत्रों के लिए ईओ अवधि प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.40 के अनुसार होगी”

(viii) यह छूट आगे विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.03 (ग) के अधीन है:

3. निम्नलिखित उप पैरा एफटीपी 2023 के मौजूदा पैरा 4.24 में जोड़ा गया है:

“(घ) डीएफआईए स्कीम के तहत अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के अनुपालन के बिना निविष्टियों के आयात की अनुमति नहीं है”

4. निम्नलिखित उप-पैरा एफटीपी 2023 के मौजूदा पैरा 6.07 में जोड़ा गया है:

“(ट) निविष्टि के आयात पर ईओयू इकाइयों को बीआईएस अधिनियम, 2016 के तहत जारी अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) की प्रयोज्यता से छूट प्रदान की जाएगी जो निर्यात उत्पादन के लिए अपेक्षित है। आयात के समय ईओयू इकाइयों द्वारा सीमा शुल्क प्राधिकारियों को इस आशय का एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा और इसकी एक प्रति संबंधित विकास आयुक्त को भी सौंपी जाएगी। ऐसी निविष्टि या ऐसी निविष्टियों से निर्मित वस्तुओं की किसी डीटीए क्लियरेंस की अनुमति नहीं है गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों से छूट केवल वास्तविक निर्यातों के लिए उपलब्ध है और ऐसी छूट अग्रिम प्राधिकार पत्र धारकों के लिए मान्य निर्यातों हेतु अनुमत नहीं होगी। यह छूट आगे विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.03 (ग) के अधीन है”।

5. निम्नलिखित उप-पैरा विदेश व्यापार नीति 2023 के मौजूदा पैरा 2.03 के साथ संलग्न है।

(ग) मंत्रालयों/विभागों की सूची जिनकी अधिसूचना अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों पर है, जिन्हें निर्यात उत्पादों के विनिर्माण में उपयोग/उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के लिए डीजीएफटी द्वारा छूट दी गई है, विदेश व्यापार नीति, 2023 के परिशिष्ट 2 में दी गई है।

**इस अधिसूचना का प्रभाव:** अग्रिम प्राधिकार पत्र धारकों और ईओयू इकाइयों द्वारा आयातित निविष्टियों को अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों से छूट देने के लिए समर्थकारी प्रावधान किए गए हैं। तदनुसार, मंत्रालयों/विभागों (अर्थात् इस्पात मंत्रालय और उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की सूची को विदेश व्यापार नीति, 2023 के परिशिष्ट 2 में अधिसूचित किया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/13/एम-15/पीसी-2[क]/ई-5910]  
संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2024

**No. 69/2023**

**Subject:- Enabling provisions for import of inputs that are subjected to mandatory Quality Control Orders (QCOs) by Advance Authorisation holders and EOU- reg**

**S.O. 1162(E).**—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02, 2.01 and 2.03 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2023, the Central Government hereby makes the following amendments to FTP, 2023.

2. Below para 4.18 of FTP 2023, a new para 4.18 (A) is inserted as follows:

**“4.18A Importability of items under Advance Authorisation without mandatory Quality Control Orders (QCOs)**

Import of Inputs under Advance Authorisation, without compliance to the mandatory QCOs, shall be subjected to the following conditions:

(i) Import of inputs under the Advance authorisation without compliance to the mandatory QCOs shall be with pre-import condition. Such inputs shall be utilised in the manufacturing of the export product (making normal allowance for wastage) and shall be exported under the same authorisation.

(ii) Exemption from mandatory QCOs shall be specifically endorsed in the Advance authorisation, upon the request of the authorisation holder. Imports under Authorisation without specific endorsement of exemption shall be made in accordance with mandatory QCOs.

(iii) Any unutilised imports or the products manufactured with inputs imported without compliance to the mandatory QCOs, shall not be transferred to DTA, even after regularisation of default in fulfilment of export obligation. For the purpose of this para, unutilised imports means imported inputs (without compliance of mandatory QCOs) which have not been accounted for, as per SION/Ad-hoc Norms, in the product exported under the same authorisation.

(iv) The unutilised imports shall be regularised as follows:

(a) The unutilised material shall be destroyed in the presence of jurisdictional GST/Customs authorities who shall certify the destruction of the goods or same may be re-exported; and in addition

(b) The AA holder shall pay duties/taxes/cesses exempted along with interest on the unutilised exempted material to Customs Authorities plus composition fee of an amount equivalent to 10% of the CIF value of unutilized imported inputs to DGFT. Proof thereof shall be submitted to the RA concerned before grant of EODC.

(v) The exemption from QCO will be available for physical exports only and such exemption will not be allowed for deemed exports for Advance Authorisation Holders.

(vi) The facility of clubbing under para 4.36 of Handbook of Procedures (HBP), 2023 shall not be available.

(vii) The EO period for such authorizations shall be as per para 4.40 of Handbook of Procedures.

(viii) This exemption is further subjected to para 2.03 (c) of FTP.

3. The following sub-para is appended to the existing para 4.24 of FTP 2023:

“(d) Import of Inputs without compliance to the mandatory QCOs under DFIA scheme is not allowed.”

4. The following sub-para is appended to the existing para 6.07 of FTP 2023:

“(k) Exemption from applicability of mandatory Quality Control Orders (QCOs) issued under the BIS Act, 2016, shall be provided to EOU on import of inputs which are required for export production. An undertaking to that effect will be submitted to the Customs authorities by the EOU at the time of importation and a copy of the same shall also be submitted to the Development Commissioner concerned. No DTA clearance of such inputs or goods manufactured made out of such inputs, are allowed. The exemption from QCO will be available for physical exports only and such exemption will not be allowed for deemed exports. This exemption is further subjected to para 2.03 (c) of FTP.”

5. The following sub-para is appended to the existing para 2.03 of FTP 2023:

(c) The list of Ministries/Departments whose notifications on mandatory QCOs, that are exempted by the DGFT for goods to be utilised/consumed in manufacture of export products, are given in **Appendix-2Y** of FTP 2023.

**Effect of this Notification:** Enabling provisions are made for exempting inputs imported by Advance Authorisation holders and EOUs, from mandatory Quality Control Orders (QCOs) Accordingly, list of Ministries / Departments ( i.e. Ministry of Steel and Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) are notified in **Appendix 2Y** of FTP, 2023.

This issue with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/13/AM-15/PC-2[A]/E-5910]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade, Ex-Officio Addl. Secy.